[2021] 4 एस.सी.आर. 467

एनटीपीसी लि.

बनाम

मेसर्स डेकोनार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

(2014 की सिविल अपील संख्या 6483)

04 मार्च 2021

[एन.वी. रमण, सूर्यकांत और
अनिरुद्ध बोस, जे.जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940: मध्यस्थ पुरस्कार - के विरुद्ध आपत्तियाँ - आपत्तिकर्ता/अपीलकर्ता को एक मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ अपनी चुनौती में सफल होने के लिए, उन्हें यह दिखाना होगा कि मध्यस्थ का पुरस्कार विकृति या कानून की त्रुटि से ग्रस्त है या मध्यस्थ ने किया है अन्यथा स्वयं कदाचार किया - केवल यह दिखाना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर कोई अन्य उचित व्याख्या या संभावित दृष्टिकोण है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है।

न्यायिक समीक्षा: मध्यस्थ निर्णय - माना गया: न्यायालय किसी मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पर अपील में नहीं बैठता है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना : 1.1 इस न्यायालय ने लगातार माना है कि न्यायालय किसी मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठता है। [पैरा 11]

क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन बनाम सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन **(2009) 5 एससीसी 142 - पर भरोसा किया गया।**

1.2 यह भी एक स्थापित प्रस्ताव है कि जहां मध्यस्थ ने एक संभावित दृष्टिकोण अपनाया है, हालांकि एक ही साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण संभव हो सकता है, अदालत पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

एरोसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1999) 9 एससीसी 449: [1999] 2 पूरक। एससीआर 621 - पर भरोसा किया गया

2. आपत्तिकर्ता/अपीलकर्ता को एक मध्यस्थ निर्णय के खिलाफ अपनी चुनौती में सफल होने के लिए, उन्हें यह दिखाना होगा कि मध्यस्थ का पुरस्कार विकृति या कानून की त्रुटि से ग्रस्त है या मध्यस्थ ने अन्यथा स्वयं कदाचार किया है। केवल यह दिखाना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर कोई अन्य उचित व्याख्या या संभावित दृष्टिकोण है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है। [पैरा 13]

यूपी राज्य वी. एलाइड कंस्ट्रक्शन्स (2003) 7 एससीसी 396: [2003] 2 सप्ल एससीआर 55; *रवीन्द्र कुमार गुप्ता एंड कंपनी बनाम भारत संघ* (2010) 1 एससीसी 409: [2009] 16 एससीआर 142; *ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड बनाम ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड* (2018) 16 एससीसी 219: [2018] 3 एससीआर 1062 - पर भरोसा किया गया।

3.मौजूदा तथ्यों में, यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि प्रतिवादी को 68 बी, सी और डी क्वार्टर के लिए साइट सौंपने में अपीलकर्ता के कारण काफी देरी हुई थी। अपीलकर्ता ने इस निष्कर्ष का विरोध नहीं किया है। पहले मुद्दे के संबंध में, अर्थात, छूट की वापसी के मुद्दे पर, मध्यस्थ ने माना कि ए और बी क्वार्टर की 100 इकाइयों के निर्माण की कीमत पर 16% की छूट प्रतिवादी द्वारा इस शर्त पर दी गई थी कि वह दोनों कार्य एक साथ निष्पादित कर सकेंगे। मध्यस्थ ने रिकॉर्ड पर दस्तावेजों के विश्लेषण पर छूट की सशर्त व्याख्या की, विशेष रूप से प्रतिवादी द्वारा उनके बीच हुई बातचीत के बाद अपीलकर्ता को भेजे गए दिनांक 14.06.1988 के पत्र, उसी पर प्रतिवादी को दोनों अनुबंधों का पुरस्कार दिया गया। दोनों कार्यों के लिए दिनांक और कार्य कार्यक्रम (एल-2)। मध्यस्थ ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता ने एल-2 कार्यक्रम से इनकार नहीं किया था, जिसने संकेत दिया था कि दोनों कार्य एक साथ किए जाने थे। उपरोक्त सामग्री को पढ़ने से, मध्यस्थ ने माना कि पार्टियों का इरादा एक साथ काम पूरा करने का था, जिससे प्रतिवादी को अपनी लागत कम करने और अपने शुल्कों को अनुकूलित करने में मदद मिलती, जिससे उसे 16% की छूट देने की अनुमति मिलती। अपीलकर्ता साइटों को सौंपने में देरी करके, अपीलकर्ता ने छूट देने की शर्त का उल्लंघन किया है, जिससे प्रतिवादी उसी की वापसी का हकदार हो गया है। [पैरा 15,16]

4. अपीलकर्ता ने दिनांक 14.06.1988 के पत्र के आधार पर छूट के संबंध में एक वैकल्पिक व्याख्या की मांग की, जिसमें कहा गया कि यह केवल प्रतिवादी को अनुबंध के दोनों सेट देने के लिए दी गई थी। हालांकि ऐसी व्याख्या संभव है, लेकिन यह मध्यस्थ द्वारा पारित फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि पहले ही रेखांकित किया गया है, न्यायालय किसी मध्यस्थ के निर्णय पर अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, और जब तक मध्यस्थ ने मामले पर संभावित दृष्टिकोण ले लिया है तब तक वह मध्यस्थ के विचारों के स्थान पर अपने विचार नहीं रख सकता है। वर्तमान मामले में, मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच अनुबंध की व्याख्या पर उसके द्वारा अपनाए गए संभावित दृष्टिकोण के लिए स्पष्ट तर्क दिया है। इस प्रकार, नीचे की अदालतों ने पहले मुद्दे पर मध्यस्थ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। [पैरा 17]

5. दूसरा मुद्दा प्रतिवादी द्वारा अनुबंध की निर्धारित अवधि से परे किए गए कार्य के लिए वृद्धि शुल्क देने से संबंधित है। मध्यस्थ ने इस मद के तहत प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे के केवल एक हिस्से को ही अनुमति दी। मध्यस्थ ने अनुबंध के खंडों के निर्माण पर विचार किया कि फर्म मूल्य खंड केवल उस अवधि के संबंध में संचालित होता है जिसके लिए अनुबंध अस्तित्व में था, और अनुबंध की निर्धारित अवधि से परे अस्तित्व में नहीं रहेगा। मध्यस्थ ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के अनुबंध की अवधि के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए कार्य को स्वीकार कर लिया। मध्यस्थ ने अपीलकर्ता के कारण होने वाली देरी की अवधि का भी सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया और प्रतिवादी को केवल उसी के लिए वृद्धि का आदेश दिया। कानून के सवाल के संबंध में कि क्या मध्यस्थ इस तरह की वृद्धि का आदेश दे सकता है, इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में इसे बरकरार रखा है। [पैरा 18,19]

असम राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बिल्डवर्थ प्राइवेट लिमिटेड (2017) 8 एससीसी 146: [2017] 7 एससीआर 123 - पर भरोसा किया गया।

न्यू इंडिया सिविल इवेक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (1997) 11 एससीसी 75: [1997] 2 एससीआर 86; *उड़ीसा राज्य बनाम सुधाकर दास (मृत) एलआरएस द्वारा* (2000) 3 एससीसी 27: [2000] 1 एससीआर 1136; *महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे बनाम सर्वेश चोपड़ा* (2002) 4 एससीसी 45: [2002] 2 एससीआर 156 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

6. इस मुद्दे से संबंधित कोई भी निर्णय कि क्या कोई मध्यस्थ किसी विशेष दावे को दे सकता है या नहीं, उस मामले में अनुबंध के निर्माण, मध्यस्थ के समक्ष रखे गए साक्ष्य और मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कोई दावा स्वीकृत किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में कोई सामान्य सिद्धांत विकसित नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता न तो रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से किसी त्रुटि को इंगित करने में सक्षम है, न ही इस मुद्दे के संबंध में मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला बनाया है। [पैरा 25,26]

<u>केस कानून संदर्भ</u>

(2009) 5 एससीसी 142	**पैरा 11 पर निर्भर था**
[1999] 2 पूरक। एससीआर 621	**पैरा 12 पर निर्भर था**
[2003] 2 पूरक। एससीआर 55	**पैरा 13 पर निर्भर था**
[2009] 16 एससीआर 142	**पैरा 13 पर निर्भर था**
[2018] 3 एससीआर 1062	**पैरा 13 पर निर्भर था**
[2017] 7 एससीआर 123	**पैरा 19 पर निर्भर था**
[1997] 2 एससीआर 86 ने	**पैरा 22 को अनुपयुक्त ठहराया**
[2000] 1 एससीआर 1136 को अनुपयुक्त	**पैरा 23 माना गया**
[2002] 2 एससीआर 156 को अनुपयुक्त	**पैरा 24 माना गया**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की सिविल अपील संख्या 6483।

एफएओ (ओएस) संख्या 136/2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2010 से।

साथ

2014 की सिविल अपील संख्या 6484।

पुनीत तनेजा, मनमोहन सिंह, सुश्री लक्ष्मी, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

आर. गौरीशंकर, एस. राजप्पा, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया।

एन. वी. रमन्ना, जे.

1. वर्तमान सिविल अपीलें, विशेष अनुमति के माध्यम से, दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 09.04.2010 के आक्षेपित सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के खिलाफ वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित एक पुरस्कार पर उनकी आपत्तियां।

2. वर्तमान अपील के निपटान के लिए आवश्यक तथ्यों का एक पहलू इस प्रकार है: अपीलकर्ता ने कुछ क्वार्टरों के निर्माण के लिए दो निविदाएं जारी की थीं जिनमें प्रतिवादी ने भाग लिया था। पहली परियोजना ए और बी प्रकार के क्वार्टरों की 100 इकाइयों के निर्माण से संबंधित है। दूसरा, बी, सी और डी प्रकार के क्वार्टरों की 68 इकाइयों के निर्माण के संबंध में था। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां प्रतिवादी पहले प्रोजेक्ट के संबंध में 1-3 था, वहीं दूसरे के संबंध में वह एल-2 था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद, अपीलकर्ता ने पहली परियोजना को पूरा करने के लिए कीमतों पर 18% की छूट की पेशकश के आधार पर प्रतिवादी को दोनों अनुबंध देने का फैसला किया, इस स्थिति में उसे दोनों अनुबंध दिए गए। प्रतिवादी को पुरस्कार के दो पत्र 29.06.1988 को जारी किए गए थे। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा साइटों को सौंपने में कुछ देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों परियोजनाओं में क्वार्टरों के निर्माण के पूरा होने में देरी हुई। चूँकि प्रतिवादी-ठेकेदार को देय अंतिम भुगतान को लेकर पार्टियों के बीच विवाद थे, प्रतिवादी ने विवाद समाधान खंड के तहत मध्यस्थता की मांग की, और एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

3. विद्वान मध्यस्थ ने, दिनांक 07.07.2000 के फैसले के माध्यम से, अनुबंध के विभिन्न शीर्षकों के तहत प्रतिवादी को राहत दी। ए और बी प्रकार के क्वार्टरों की 100 इकाइयों के निर्माण से संबंधित पहले अनुबंध के संबंध में, मध्यस्थ ने प्रतिवादी को 18% प्रति वर्ष लंबित ब्याज और 21% भविष्य के ब्याज के साथ 23,89,424/- रुपये की राशि प्रदान की। बी, सी और डी प्रकार के क्वार्टरों की 68 इकाइयों के निर्माण से संबंधित दूसरे अनुबंध के संबंध में, मध्यस्थ ने प्रतिवादी को 18% प्रति वर्ष पेंडेंट लाइट और 21% भविष्य के ब्याज पर 24,36,532/- रुपये दिए।

4. उपरोक्त पुरस्कारों से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 और 33 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों पुरस्कारों के खिलाफ आपत्तियां दायर कीं। दिनांक 16.12.2009 के अलग-अलग आदेशों के तहत, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 50,000/- रुपये की लागत के साथ अपीलकर्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया (मध्यस्थ द्वारा दी गई ब्याज दर को संशोधित करने की सीमा को छोड़कर)। और पुरस्कार को न्यायालय का आदेश बना दिया।

5. अपीलकर्ता ने उपरोक्त आदेशों को धारा 39, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील में चुनौती दी, जिसे दिनांक 09.04.2010 के आम आक्षेपित निर्णय द्वारा 10,000/-. रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया गया।

6. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान सिविल अपील दायर की है।

7. अपीलकर्ता और प्रतिवादी के विद्वान वकील को विस्तार से सुना।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलीलें तीन मुख्य बिंदुओं तक सीमित रखीं- पार्टियों द्वारा सहमत छूट की वापसी, निर्धारित अवधि से परे किए गए काम के लिए शुल्क में वृद्धि की मंजूरी और तीनों द्वारा अपीलकर्ता पर लगाई गई लागत। नीचे मंच. हालाँकि तीनों में से पहला मुद्दा केवल 2014 की सिविल अपील संख्या 6484 में उठता है, क्योंकि बाद के दो मुद्दे दोनों अपीलों में समान हैं, और तथ्य जुड़े हुए हैं, सभी मुद्दों को एक साथ उठाया जा रहा है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ ने यह मानकर गलती की कि छूट एक सशर्त थी, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्ताव की शर्तें और पुरस्कार पत्र इसका संकेत नहीं देते हैं। इसके अलावा, विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ ने कीमतों में वृद्धि की अनुमति देकर गलती की, जबकि अनुबंध में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि *"अनुबंध के निष्पादन के दौरान उद्धृत मूल्य स्थिर रहेगा"*। इसलिए निचली अदालतों को मध्यस्थ द्वारा पारित फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए था क्योंकि इसे पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तों के

विपरीत पारित किया गया था।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले का समर्थन किया और कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ समवर्ती निष्कर्ष हैं, जो केवल मुकदमेबाजी को लम्बा खींच रहा है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि एक मध्यस्थ पुरस्कार में हस्तक्षेप का दायरा सीमित था, क्योंकि न्यायालय किसी पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठा था। जब तक मध्यस्थ ने उचित दृष्टिकोण अपनाया है, तब तक न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

11. आगे बढ़ने से पहले, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत पारित मध्यस्थ पुरस्कारों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश पर ध्यान देना आवश्यक है। इस न्यायालय ने लगातार माना है कि न्यायालय एक मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठता है **. क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन बनाम सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, (2009) 5 एससीसी 142** में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"**10**. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थ पुरस्कारों के संबंध में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। अधिनियम की धारा 30 या 33 के तहत एक आवेदन पर विचार करने वाली अदालत मध्यस्थ के निष्कर्षों और निर्णय पर अपील नहीं करती है। न ही यह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन या पुन:मूल्यांकन कर सकता है या साक्ष्यों की पर्याप्तता या अन्यथा की जांच कर सकता है। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होता है और एकमात्र आधार जिस पर इसे चुनौती दी जा सकती है वह अधिनियम की धारा 30 और 33 में उल्लिखित है।

इसलिए, आग्रह किए गए तर्कों पर, एकमात्र प्रश्न जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उठा, वह यह था कि क्या पुरस्कार के चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट थी और क्या मध्यस्थ ने स्वयं या कार्यवाही का कदाचार किया था।

(जोर दिया गया)

12. इसके अलावा, यह भी एक स्थापित प्रस्ताव है कि जहां मध्यस्थ ने एक संभावित दृष्टिकोण अपनाया है, हालांकि एक ही साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण संभव हो सकता है, अदालत पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस न्यायालय ने **अरेसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1999) 9 एससीसी 449** में इस प्रकार निर्णय दिया:

"**36**. ज्ञात हो कि मामलों की लंबी श्रृंखला के कारण, अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अदालत का पुनर्मूल्यांकन स्वीकार्य नहीं है और वास्तव में अदालत द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्यवाही से अज्ञात। पुरस्कार में कोई कारण न होने की स्थिति में न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता। हालाँकि, ऐसे कारण होने पर भी, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि निश्चित रूप से, पुरस्कार में पूर्ण विकृति मौजूद न हो या निर्णय कानून के गलत प्रस्ताव पर आधारित न हो। हालाँकि, इस स्थिति में कानून के प्रश्न पर भी दो राय संभव हैं, अदालत को पुरस्कार में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

37. हालांकि, सामान्य वाक्यांशविज्ञान "रिकॉर्ड के चेहरे पर त्रुटि स्पष्ट" का मतलब रिकॉर्ड पर दस्तावेजों और सामग्रियों की खूबियों की बारीकी से जांच करना नहीं है। वास्तव में, अदालत अपने मूल्यांकन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है कि मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच सौदेबाजी के विपरीत काम किया था। यदि मध्यस्थ का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है तो पुरस्कार या उसमें निहित तर्क की जांच नहीं की जा सकती..."

13. उपरोक्त घोषणाओं से, और इस न्यायालय के अन्य निर्णयों की श्रृंखला से, यह स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता/अपीलकर्ता को एक मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ अपनी चुनौती में सफल होने के लिए, उन्हें यह दिखाना होगा कि मध्यस्थ का पुरस्कार प्रभावित हुआ है विकृति या कानून की त्रुटि या मध्यस्थ ने अन्यथा स्वयं कदाचार किया है। केवल यह दिखाना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर कोई अन्य उचित व्याख्या या संभावित दृष्टिकोण है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है **[यू.पी. राज्य देखें] वी. एलाइड कंस्ट्रक्शन्स, (2003) 7 एससीसी 396; रवीन्द्र कुमार गुप्ता एंड कंपनी बनाम भारत संघ, (2010) 1 एससीसी 409; ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड बनाम ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, (2018) 16 एससीसी 219]।**

14. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारे सामने सवाल यह है कि क्या विचाराधीन मध्यस्थ पुरस्कार किसी भी उपलब्ध आधार पर स्वीकार्य हैं। इसे तय करते समय, इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और बाद में डिवीजन बेंच दोनों ने समवर्ती

रूप से यहां अपीलकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया है।

15. मौजूदा तथ्यों की बात करें तो, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी को 68 बी, सी और डी क्वार्टर के लिए साइट सौंपने में अपीलकर्ता के कारण काफी देरी हुई थी। अपीलकर्ता ने हमारे समक्ष इस निष्कर्ष का विरोध नहीं किया है।

16. पहले मुद्दे के संबंध में, अर्थात्, छूट की वापसी के मुद्दे पर मध्यस्थ ने माना कि ए और बी क्वार्टर की 100 इकाइयों के निर्माण की कीमत पर 16% की छूट प्रतिवादी द्वारा इस शर्त पर दी गई थी कि वह दोनों कार्य एक साथ कर सकेंगे। मध्यस्थ ने रिकॉर्ड पर दस्तावेजों के विश्लेषण पर छूट की सशर्त व्याख्या की, विशेष रूप से प्रतिवादी द्वारा उनके बीच हुई बातचीत के बाद अपीलकर्ता को भेजे गए दिनांक 14.06.1988 के पत्र, उसी पर प्रतिवादी को दोनों अनुबंधों का पुरस्कार दिया गया। दोनों कार्यों के लिए दिनांक और कार्य कार्यक्रम (एल-2)। मध्यस्थ ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता ने 1-2 कार्यक्रम से इनकार नहीं किया था, जिसने संकेत दिया था कि दोनों कार्य एक साथ किए जाने थे। उपरोक्त सामग्री को पढ़ने से, मध्यस्थ ने माना कि पार्टियों का इरादा एक साथ काम पूरा करने का था, जिससे प्रतिवादी को अपनी लागत कम करने और अपने शुल्कों को अनुकूलित करने में मदद मिलती, जिससे उसे 16% की छूट देने की अनुमति मिलती। अपीलकर्ता साइटों को सौंपने में देरी करके, अपीलकर्ता ने छूट देने की शर्त का उल्लंघन किया है, जिससे प्रतिवादी उसी की वापसी का हकदार हो गया है।

17. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दिनांक 14.06.1988 के पत्र के आधार पर छूट के संबंध में एक वैकल्पिक व्याख्या की मांग की, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी को अनुबंध के दोनों सेट देने के लिए ही यह अनुमति दी गई थी। हालाँकि हम अपीलकर्ता से सहमत हैं कि ऐसी व्याख्या संभव है, हमारी राय है कि यह मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि पहले ही रेखांकित किया गया है, न्यायालय किसी मध्यस्थ के निर्णय पर अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, और जब तक मध्यस्थ ने मामले पर संभावित दृष्टिकोण ले लिया है तब तक वह मध्यस्थ के विचारों के स्थान पर अपने विचार नहीं रख सकता है। हमारी सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में, मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच अनुबंध की व्याख्या पर उसके द्वारा अपनाए गए संभावित दृष्टिकोण के लिए स्पष्ट तर्क दिया है। इस प्रकार, नीचे की अदालतों ने पहले मुद्दे पर

मध्यस्थ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

18. दूसरा मुद्दा प्रतिवादी द्वारा अनुबंध की निर्धारित अवधि से परे किए गए कार्य के लिए वृद्धि शुल्क देने से संबंधित है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थ ने इस मद के तहत प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे के केवल एक हिस्से को ही अनुमति दी है। 2014 की सिविल अपील संख्या 6483 में, मध्यस्थ ने रुपये की राशि प्रदान की। रुपये के दावे के विरुद्ध 17,86,212/- रु. 66,98,773/-, जबकि 2014 की सिविल अपील संख्या 6484 में, मध्यस्थ ने रु. की राशि प्रदान की। रुपये के दावे के मुकाबले 3,03,419/- रु. 42 20.261/-. मध्यस्थ ने अनुबंध के खंडों के निर्माण पर विचार किया कि फर्म मूल्य खंड केवल उस अवधि के संबंध में संचालित होता है जिसके लिए अनुबंध अस्तित्व में था, और अनुबंध की निर्धारित अवधि से परे अस्तित्व में नहीं रहेगा। मध्यस्थ ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के अनुबंध की अवधि के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए कार्य को स्वीकार कर लिया। मध्यस्थ ने अपीलकर्ता के कारण होने वाली देरी की अवधि का भी सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया और प्रतिवादी को केवल उसी के लिए वृद्धि का आदेश दिया।

19. कानून के प्रश्न के संबंध में कि क्या मध्यस्थ इस तरह की वृद्धि का आदेश दे सकता है, इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में इसे बरकरार रखा है। **असम राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बिल्डवर्थ प्राइवेट लिमिटेड, (2017) 8 एससीसी 146** मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को लगभग समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उस मामले में, मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच अनुबंध के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी, जिसने उस पर एक सीमा निर्धारित की। इस तरह के पुरस्कार को बरकरार रखते हुए, उस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"13.मध्यस्थ ने यह विचार किया है कि मूल्य वृद्धि का प्रावधान दावेदार को पूरा होने की निर्धारित तिथि से परे बाध्य नहीं करेगा। मध्यस्थ का यह दृष्टिकोण अनुबंध के प्रावधानों के निर्माण, पार्टियों के बीच पत्राचार और 6-9-1983 से 31 तक की औपचारिक विस्तारित तिथि से परे भी अनुबंध को पूरा करने की अनुमति देने में बोर्ड के आचरण पर आधारित है। -1-1986. अनुबंध के निर्माण से संबंधित मामले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के प्रांत के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त। वर्तमान मामले में. मध्यस्थ द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वह साक्ष्य सामग्री पर आधारित है जो निर्णय के

लिए प्रासंगिक था। रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि नहीं है जो मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उपलब्ध मापदंडों के भीतर अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। मध्यस्थ ने न तो कार्यवाही में खुद का कदाचार किया है और न ही पुरस्कार अन्यथा अमान्य है।

(जोर दिया गया)

20.हमारी राय है कि इस न्यायालय की उपरोक्त धारणा सीधे वर्तमान मामले पर लागू होती है। वर्तमान मामले में मध्यस्थ ने वर्तमान अनुबंध और निश्चित मूल्य खंड का निर्माण उसी तरीके से किया है। यह निर्माण रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और उनके समक्ष वकील की दलीलों के आधार पर था। मध्यस्थ ने अपीलकर्ता के कारण होने वाली देरी की अवधि को सावधानीपूर्वक रेखांकित किया है, और प्रतिवादी के दावे को केवल उस सीमित सीमा तक ही स्वीकार किया है।

21. अपीलकर्ता के वकील ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को रिकॉर्ड पर रखा है, जो उनके अनुसार एक अलग दृष्टिकोण को अनिवार्य करते हैं। ऐसे में इसका विश्लेषण करना जरूरी होगा.

22. **न्यू इंडिया सिविल इरेक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, (1997) 11 एससीसी 75** में, इस न्यायालय ने विशिष्ट शर्त के आधार पर देरी की अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि के दावे को खारिज कर दिया। उसमें अनुबंध, जिसमें विशेष रूप से "कार्य पूरा होने तक" मूल्य वृद्धि को शामिल नहीं किया गया था। दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, संविदात्मक खंड केवल यह निर्धारित करता है कि "अनुबंध के निष्पादन की अवधि' के दौरान कीमत स्थिर रहेगी, जिसे मध्यस्थ ने मूल रूप से निष्पादन के लिए निर्धारित 12 महीने की अवधि के लिए ही संदर्भित किया था। अनुबंध। यह एक तकनीकी अंतर प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि अनुबंध का निर्माण मध्यस्थ के क्षेत्र में है, और जब तक दी गई व्याख्या एक संभावित दृष्टिकोण है, तब तक न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता **है। न्यू इंडिया सिविल इरेक्टर्स** मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय की राय थी कि, उस मामले में अनुबंध के विशिष्ट खंड को ध्यान में रखते हुए, कीमतों में वृद्धि देना संभव दृष्टिकोण नहीं था। मौजूदा मामले में ऐसा नहीं है. जैसा कि हम पहले ही ऊपर कह चुके हैं, हमारी राय है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभव था, और इसलिए न्यायालयों द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

23. **उड़ीसा राज्य बनाम सुधाकर दास (मृत) बाय एलआरएस, (2000) 3 एससीसी 27** में, इस न्यायालय को अनुबंध की अवधि से परे या देरी के संबंध में वृद्धि शुल्क देने के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में इसकी प्रयोज्यता सीमित है।

24. **महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे बनाम सर्वेश चोपड़ा, (2002) 4 एससीसी 45** में, न्यायालय ने मध्यस्थता के संदर्भ से संबंधित एक मामले को जब्त कर लिया था। ऐसे मामले में न्यायालय के विचार किसी मध्यस्थ के अंतिम फैसले पर अपील में न्यायालय के विचारों से भिन्न होते हैं। जैसा भी हो, उस मामले में, पार्टियों के बीच एक संविदात्मक खंड विशेष रूप से विपरीत पार्टी के कारण होने वाली देरी से उत्पन्न होने वाले ठेकेदार के किसी भी दावे को बाहर कर देता है, जो कि वर्तमान मामले में नहीं है।

25. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे से संबंधित कोई भी निर्णय कि क्या कोई मध्यस्थ किसी विशेष दावे को दे सकता है या नहीं, उस मामले में अनुबंध के निर्माण, मध्यस्थ के समक्ष रखे गए साक्ष्य और अन्य तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मामला। कोई दावा स्वीकृत किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में कोई सामान्य सिद्धांत विकसित नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए निर्णय, जिसमें वृद्धि के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था, को उनके तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, और अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत सभी निर्णयों को तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है।

26. इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि अपीलकर्ता न तो रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि इंगित करने में सक्षम है, न ही इस मुद्दे के संबंध में मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला बनाया है। .

27..अंतिम मुद्दे के संबंध में, नीचे दिए गए मंचों द्वारा अपीलकर्ता पर जुर्माना लगाने से संबंधित, हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता के वकील ने इस पर जोर नहीं दिया है और देख रहे हैं शामिल मात्रा के लिए.

28.उपरोक्त के मद्देनजर, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

29.तदनुसार, अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल अपील खारिज की जाती है। अपीलकर्ता को इस फैसले की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी को लंबित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

30. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निपटाए जाते हैं।

देविका गुजराल अपीलें खारिज.

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादि।